राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांकः प. 27(02)मंमं/2009 जयपुर, दिनांकः 02-03-2015

परिपत्र

प्रायः देखने में आया है कि सचिवालय स्थित कुछ प्रशासनिक विभागों द्वारा उनके अधीनस्थ विभाग/अनुभागों में "राजस्थान कार्यविधि नियमानुसार" कार्य सम्पादित नहीं करवाये जा रहे है, ऐसी स्थिति में कार्य विधि नियमों का प्रशासनिक विभाग होने के कारण इस सचिवालय को अकारण न्यायालय में वादों का सामना करना पड़ता है। उदाहरणतः शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग को आवंटित उच्च शिक्षा विभाग का कार्य शिक्षा विभाग द्वारा अन्य किसी ग्रुप में सम्पादित करवाने के कारण अपीलार्थी डॉ जितेन्द्र शर्मा के द्वारा **D.B. Civil special appeal (Writ) No. 71/2015** राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में अपील दायर की गई है। उक्त अपील में मुख्य प्रतिवादी अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग एवं मंत्रिमण्डल सचिवालय को बनाया गया है। इस स्थिति में इस सचिवालय को उच्च शिक्षा विभाग की गलती के कारण अनावश्यक विधिक प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ रहा है। यही प्रक्रिया प्रशासनिक सुधार विभाग एवं गृह विभाग द्वारा भी अपनाई जा रही है। इसी प्रकार यह तथ्य भी जानकारी में आया है कि शिक्षा विभाग के अन्तर्गत भाषा विभाग द्वारा स्वंय के विभाग के नाम को विभागीय स्तर पर संशोधित कर भाषा एव पुस्तकालय विभाग कर दिया गया है। इस सचिवालय में उपलब्ध अभिलेख अनुसार पूर्व में पुस्तकालय शब्द शिक्षा विभाग के अधीन था, जिसे शिक्षा विभाग द्वारा विलोपित करवा दिया गया था।

उक्त स्थिति पुनः उत्पन्न न हो इसके लिए आवश्यक है कि राजस्थान कार्यविधि नियमानुसार प्रशासनिक विभागो द्वारा उनके अधीनस्थ विभागों को आवंटित कार्य अनुसार ही कार्य सम्पादित किये जावें। यदि ऐसा करने में विभागों को कोई असुविधा हो रही हो तो कार्यविधि नियमों में वांछित संशोधन हेतु वांछित प्रक्रिया अपनाते हुए प्रस्ताव इस सचिवालय को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करें।

अतः शासन सचिवालय स्थित समस्त विभागों को निर्देशानुसार निर्देशित किया जाता है कि वे यह सुनिश्चितः करें कि उनके अधीनस्थ विभाग/अनुभागों द्वारा वे ही कार्य सम्पादित किये जावें जो उन्हें राजस्थान कार्यविधि नियमानुसार आवंटित हैं एवं आवश्यकतानुसार संशोधन भी न्यायोचित तर्क के साथ प्रस्तुत करें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(अजीत कुमार सिंह)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिवगण।
2. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव।
3. विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव, मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. शासन सचिवालय स्थित समस्त विभाग/शासन सचिवालय के समस्त अनुभाग।
6. निदेशक, राजकॉम्प निदेशालय,राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि जी.ए.डी. एण्ड.केबीनेट की बेबसाईट पर आज ही अपलोड कराये जाने का श्रम करावें।

(हरी बाबू शर्मा)
वरिष्ठ शासन उप सचिव